



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने तथा Sc/St एक्ट में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 13,000 रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 128/2016 धारा-363,366,376 भा०द०सं० व 4 पोक्सो एक्ट व 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राममुनि पुत्र कामता कुशवाहा निवासी शिवनी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹13,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
एडीजीसी श्री रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
सीओ श्री सीताराम



पैरोकार- थाना
कुरारा
का० रजनीश कुमार